न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 03/2017 (राजसमन्द डिक्री)

1. श्री रणछोड़ पिता किशनलाल जी ब्राह्मण निवासी सुन्दरचा तहसील एवं जिला राजसमन्द (राज0)
2. श्री गोरधन लाल पिता किशनलाल जी ब्राह्मण निवासी सुन्दरचा तहसील एवं जिला राजसमन्द (राज0)
3. श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी स्व. हंसराज जी ब्राह्मण निवासी जलचक्की तहसील रोड़ कांकरोली राजसमन्द (राज0)
4. कैलाश पिता स्व. हंसराज जी ब्राह्मण निवासी जलचक्की तहसील रोड़ कांकरोली राजसमन्द (राज0)
5. श्री मुकेश पिता स्व. हंसराज जी ब्राह्मण निवासी जलचक्की तहसील रोड़ कांकरोली राजसमन्द (राज0)

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री भेरूलाल पिता ाकिशनलाल जी ब्राह्मण निवासी सुन्दरचा तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
2. श्री राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजसमन्द जिला राजसमन्द
3. श्री उप–पंजीयन अधिकारी राजसमन्द

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड
अधिकारी राजसमन्द दिनांक 04–07–2016 प्रकरण
संख्या 28/2015 रेवेन्यू वाद

————/————

उपस्थित :–1– श्री कन्हैयालाला चोर्डिया अभिभाषक अपीलान्ट्स
2– श्री संजय बोहरा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं.1
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2, 3

————/————

निर्णय **दिनांक 08–03–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में में अपीलान्ट वादीगण द्वारा प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध घोषणा, विभाजन व निषेधाज्ञा का वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सुन्दरचा की विवादित आराजीयात कूल किता–2 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा बाबत प्रतिवादी संख्या–1 ने वाद संख्या 104/1991 घोषणा का प्रस्तुत कर वादीगण व प्रतिवादीगण–1 के पिता की संपत्ति होना बताकर वादीगणों को वंचित करते हुए अकेले अपने नाम खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त कर ली। जबकि वदीगण का भी वादपत्र की कलम संख्या–4 अनुसार विवादित आराजीयात में प्रतिवादी संख्या–1 के साथ वार्णित सजरे अनुसार किशनलाल के पुत्र/पौत्र/वारिस होने के कारण विरासती उत्तराधिकार था। प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा गलत आधारों पर दायर वाद व गलत तथ्यों के आधार पर वाद की डिक्री करवा ली है। जबकि विवादित आराजीयात में प्रतिवादी संख्या–1 का 1/4 हिस्सा ही है तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 से 5 का 1/4 हिस्सा है। वादीगण तद्नुसार घोषणा, विभाजन एवं निषेधाज्ञा के अधिकारी है। प्रकरण में पत्रावली दिनांक 29–4–2016 तक प्रतिवादी के जवाब में लम्बित थी। इसी दौराने अधिनस्थ नयायालय ने दिनांक 4–7–2016 को प्रकरण को लोक अदालत में रखकर प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 की उपस्थिति में वाद को रेस्ज्युडिकेटा के आधार पर खारिज कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 4–7–2016 से रूष्ट होकर अपीलान्ट वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 26–12–2016 को पेश की।

प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 की और से श्री संजय बोहरा ने उपस्थिति दी। रेस्पोन्डेन्ट संख्य 2, 3 की और से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन पेश कर निवेदन किया कि लोक अदालत में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें निर्णय नहीं बताया गया तथा प्रकरण को उभयपक्षों को सुनकर अदालत में ही निर्णय किये जाने का कथन किया, परन्तु बाद में अपीलान्ट द्वारा अपने प्रकरण की जानकारी करने पर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी हुई तथा अन्दर जानकारी मयाद अपील प्रस्तुत की जा रही है।

उक्त आवेदन का खण्डन का जवाब रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 द्वारा देकर कहा गया कि प्रकरण में अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी निर्णय दिनांक से ही थी तथा उनके हस्ताक्षर भी है। वाद का निर्णय विधिक आधारों पर किया गया है। ताईद में शपथ पत्र भी दिया है।

उभयपक्षों को मयाद पर सुना गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन किया गया तो हम इस निष्कर्ष पर पहूंचे है कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा लोक अदालत में उक्त निर्णय विधिक आधार/रेस्ज्युडिकेटा पर वादी अपीलान्ट के विरूद्ध किया गया है। अपीलान्ट को उक्त निर्णय की जानकारी होने बाबत् सुनिश्चितता पूर्वक इस कारण नहीं कहा जा सकता। क्योंकि इस आश्य/रेस्ज्युडिकेटा का रेस्पोन्डेट का कोई आवेदन नहीं था तथा अपीलान्ट उक्त विधिक बिन्दू पर विधिक पक्ष रखने को सक्षम भी प्रतीत नहीं होते। अधिनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय अपने स्तर पर विधिक आधारों पर कर दिया गया है। जबकि प्रकरण में विधिक बिन्दू पर उभयपक्षों के अभिभाषकों को सुनना वांछनीय था। प्रकरण में गुणावगुण भी महत्वपूर्ण है। रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रकरण में निम्नानुसार न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की हैः–

1- R.R.T. 2017 (1) Page 711 (H.C.)
2- C.T. 2010 (2) Page 543 (H.C.)
3- R.R.T. 2009-10 Page 203 (Supp.)
4- R.R.T. 2007 (2) Page 788 (H.C.)
5- R.R.T. 2017 (1) Page 117 (H.C.)
6- C.T. 2010 (2) Page 462 (S.C.)

उपरोक्त न्यायिक नजीरें इस प्रकरण के तथ्यों पर तथा महत्वपूर्ण गुणावगुण आधार पर निर्णय वांछनीय होने से इस प्रकरण पर लागू नहीं होती। तद्नुसार इस प्रकरण में न्यायहित में म्याद कण्डोन की जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किये जाने की अनुज्ञा भी दी जाती है।

प्रकरण में गुणावगुण पर उभयपक्षों को सुना गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण रेस्पोन्डेन्ट प्रतिवादी संख्या–1 के जवाब में लबिम्त था तथा अपीलान्ट द्वारा व्यक्त रूप से से पूर्व निर्णय जिसमें वे पक्षकार नहीं थे तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 द्वारा अपने पिता द्वारा क्रय शुदा

भूमि पर उक्त क्रय तथा कब्जा मुखालफाना आधार पर वादीगणों को सुनवाई से वंचित करते हुए पिता की क्रय शुदा संपत्ति पर क्रय तथा कब्जा मुखालफाना आधार पर पूर्व वाद सेख्या 104/1991 में डिक्री प्राप्त की है। अधिनस्थ न्यायालय के पूर्व प्रकरण में अपीलान्ट वादीगण पक्षकार ही नहीं थे तो उन पर यह पूर्व निर्णय दफा–11 जाब्ता दीवानी के तहत रस्ज्युडिकेटा लागू नहीं करता। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध तथा प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 4–7–2016 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट का जवाबदावा लेकर प्रकरण में विधिक प्रक्रिया का अनुसरण कर उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देकर पुनः निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 9–5–2018 को उपस्थित होवें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 08–03–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर